'आरक्षण कोई भीख नहीं, पूना पैक्ट का वादा है'। 'पूना पेक्ट' के वादे के अनुरूप दलित आदिवासियों को देश के प्रत्येक क्षेत्र में उनकी आबादी के अनुपात में हिस्सेदारी (प्रतिनिधित्व) चाहिए। इससे कम कुछ भी नहीं। 'आरक्षण' हमारा संवैधानिक अधिकार है इसे हम कैसे छोड़ सकते है। हमारा 'मान–सम्मान', पद–प्रतिष्ठा, धन–दौलत सब इसी से है। मास्टर–डाक्टर, इंजीनियर–वकील, आई.ए.एस.–आई.पी.एस., मन्त्री–सन्त्री सब इसी से तो हैं। अतः निम्नलिखित मांगें ही ABSS के लक्ष्य/उद्देश्य है –

1. मजबूत आरक्षण कानून (Strong Reservation Act) बनाकर आरक्षण को न्यायिक हस्तक्षेप से मुक्त किया जाय तथा प्रत्येक स्तर पर प्रोन्नतियों में आरक्षण लागू किया जाए।
2. हायर जूडिशियरी (हाईकोर्ट–सुप्रीम कोर्ट) में जजों की नियुक्ति हेतु भारतीय न्यायिक सेवा आयोग का गठन किया जाए तथा हायर जुडिशियरी में आरक्षण व्यवस्था लागू की जाए।
3. भारतीय सेना के तीनों अंगों (वायु, थल तथा जल सेना) में प्रत्येक स्तर पर आरक्षण व्यवस्था लागू की जाए तथा जातियों के नाम पर बने हुए रेजीमेन्ट खत्म किए जाए।
4. शिक्षा के निजीकरण व बाजारीकरण तुरन्त प्रभाव से बन्द करते हुए शिक्षा का राष्ट्रीयकरण किया जाए तथा देश में एक समान व अनिवार्य शिक्षा कानून (Equal & Compulsory Education Act) लागू किया जाये। गरीबों व अमीरों की भेदभावपूर्ण अलग–अलग शिक्षा पद्धति समाप्त की जाये।
5. अनुसूचित जाति/जनजाति की वास्तविक जनसंख्या के आधार पर आरक्षण की सीमा 22.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत की जाए।
6. निजी क्षेत्र/पी0पी0पी0 प्रोजेक्टस में आरक्षण व्यवस्था तुरन्त लागू की जाए। केन्द्र व राज्य सरकारों द्वारा सभी उपक्रमों/विभागों में संविदा तथा ठेकेदारी प्रथा को तुरन्त

समाप्त किया जाए। चतुर्थ श्रेणी (ग्रुप डी) की भर्तियाँ तत्काल प्रभाव से प्रारम्भ की जाये।

7. प्रत्येक संवर्ग में रिक्त पड़े लाखों पदों की गणना स्वीकृत पदों के विरूद्ध कराकर बैकलॉग कोटा तुरन्त भरा जाये।
8. केन्द्रीय सरकार शीर्ष पदों पर आरक्षण व्यवस्था लागू करें तथा कैबिनेट सचिवों, अपर कैबिनेट सचिवों तथा संयुक्त सचिवों, विभिन्न विभागों/उपक्रमों के विभागाध्यक्षों, निदेशकों एवं प्रबन्ध निदेशकों, विश्वविद्यालयों के कुलपति, डिग्री/इण्टर कालिजों के प्रधानाचार्यो तथा वैज्ञानिकों के पदों पर एस.सी./ एस. टी./ओ.बी.सी. वर्गो का अनुपातिक आरक्षण लागू किया जाये।
9. केन्द्रीय सरकार व राज्य सरकारें अनुसूचित जाति/जनजाति के विकास हेतु स्पेशल कम्पोनेट प्लान (SCP) के अन्तर्गत आवंटित एवं आरक्षित की गयी अरबों रूपये की धनराशि को दलित आदिवासियों की शिक्षा, स्वास्थ्य तथा आर्थिक विकास पर ही खर्च की जाए। SCP की धनराशि का दुरूपयोग रोकने के लिए कठोर केन्द्रीय कानून (Strong Federal Act) बनाया जाये।
10. देश के प्रत्येक जनपद मुख्यालय पर दलित आदिवासी, अति पिछड़े वर्ग की कन्याओं के लिए आवासीय विद्यालयों तथा महिला छात्रावासों की व्यवस्था तुरन्त प्रभाव से की जाए।
11. पिछड़े वर्ग के कर्मचारियों एवं अधिकारियों को भी प्रोन्नतियों में आरक्षण दिया जाए।
12. नक्सलवाद के नाम पर निर्दोष और सीधे सादे आदिवासियों का कत्लेआम बन्द किया जाये तथा उनकी जल, जंगल और जमीन से बेदखली बन्द की जाये।
13. अनुसूचित जाति/जनजाति एवं पिछड़े वर्गो की संघीय सूची मे सम्मिलित जातियों/उपजातियों के जाति प्रमाण पत्र सभी राज्यों में उसी वर्ग समूह में (जैसा कि वे संघीय सूची में रखे गये है) सुगमता से बनाया जाये।

14. नवसृजित राज्यों (यथा तेलंगाना, उत्तराखण्ड, झारखण्ड, छत्तीसगढ़ आदि) में राज्य निर्माण की तिथि से सभी व्यक्तियों/परिवारों को जाति प्रमाण–पत्र/ निवास प्रमाण पत्र सुगमत से जारी करने का संघीय कानून बनाया जाये।
15. दबंग, उच्च वर्गीय हिन्दुओं के उत्पीड़न, शोषण, अत्याचार से पीड़ित दलित आदिवासियों की अलग बस्तियाँ बसायी जाये।